


पत्रावली नम्बर 20/4/23 का विषय हो।

21.03.2023:—पत्रावली आज प्रार्थी अधिवक्ता के प्रार्थना पत्र पर पेशी में लिया गया। मूल वादपत्र में राजीनाम अनुसार खारिज हो चुका है तो प्रार्थना-पत्र में कोई कार्यवाही शेष नहीं रह जाती। मूल वादपत्र खारिज होने के कारण प्रार्थी उक्त प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.ए. वर्तमान स्तर पर ही खारिज किया जाता है। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरबीज तकमील दाखिल दफ्तर हो।



सत्यमेव जयते

सहायक कलक्टर  
एवं उपखण्डाधिकारी  
हनुमानगढ़

Web Copy - Not Official

